न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 151/2019 **दायरा दिनांक : 18.11.2019**

उनवान

1– बाबू लाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी चेनपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– अन्तिमा पुत्री बाबूलाल पत्नी विष्णु मीणा, जाति मीणा, निवासी छीनोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– सावित्री पुत्री बाबू लाल पत्नी हरिमोहन, जाति मीणा, निवासी बरला, तहसील अटरू, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 42/2018 निर्णय दिनांक 19.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम चन्द्रहोड़ी में खाता संख्या 26 में नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 09.06.2018 से अपीलांट कम 1 के खसरा नम्बर 53/252 (दक्षिणी) रकबा 1.12 हेक्टर भूमि हिस्से में आयी है । रेस्पोडेंट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आराजी पुश्तैनी होने से उसने अपना 1/3 हिस्सा निहित होने पर उसकी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी उक्त आराजी के कब्जे काश्त

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

में दखलन्दाजी न करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित किया है जो गैर कानूनी एवं न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । वादग्रस्त आराजी में उसके पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा कानूनन नहीं बनता है एवं रेस्पोडेंट कम 1 अनुसूचित जनजाति की सदस्या है तथा विवाहित महिला है । अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1955 से वे गवर्न नहीं होते हैं तथा धारा 2 के तहत वह पुराने हिन्दू कानून से शासित होते हैं तथा लड़की को उसके पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा उक्त आराजी में प्राप्त नहीं होता है । उक्त प्रकरण में अपीलांट कम 1 के रेस्पोडेंट का पिता है जो जीवित है एवं उसके जीवनकाल में रेस्पोडेंट उक्त विवादित आराजी में कानूनन कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टी आई के खिलाफ आये हैं । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के है जिनमें लड़की का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार निहित नहीं है । पिता की मृत्यु के बाद भी कोई अधिकार नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो स्थगन आदेश सावित्री के पक्ष में दिया है वह गलत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2006 पेज 577 एवं आर आर डी 2006 पेज 464 की नजीर पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के आवेदन में कोई आपत्ति नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में मात्र सावित्री बाई के 1/3 हिस्से को रहन, बेचान से पाबन्द किया है, बाबूलाल को पाबन्द नहीं किया है । आर आर डी 2006 पेज 577 एवं आर आर डी 2006 पेज 464 यहां चस्पा नहीं होती है । पुत्र नहीं होता पुत्रियों को वादग्रस्त आराजी में अधिकार है । हिन्दू सेक्शन एक्ट दावे में देखा जायेगा, टी आई में नहीं देखा जायेगा । अतः अपील खारिज की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.08.2019 में स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थीगण अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव ने वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण अपीलांट को प्रार्थिया रेस्पोडेंट की प्रार्थना में किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की है एवं निवेदन किया है कि अप्रार्थी अपीलांट संख्या 2 को भी उक्त भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । अतः अप्रार्थी कम 1 व 2 अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा